बजट आवंटन/आयोजागत
संख्या–29 /ix /110/2007

प्रेषक,

एस0रामास्वामी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

परिवहन एवं नगरिक उडडयन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2008।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–2008 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ऋण के रूप में 19.50 करोड. की धनराशि स्वीकृति किये जाने के सबध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक,उत्तराखण्ड परिवहन निगम,देहरादून के पत्र संख्या–846/एच0क्यू0/संचालन/एम0आई0एस0/2007, दिनांक 7 सितम्बर 2007 तथा पत्र संख्या–40/नि0मु0/लेखा/अंशपूंजी/2008 दिनांक 4 –01–08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु ऋण के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में रूपये 19.50 करोड़ (रूपये उन्नीस करोड़ पचास लाख) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1–धनराशि का आहरण करके प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

2–ऋण का उपयोग केवल बसों के कय पर ही किया जायेगा और किसी दशा में उसका उपयोग निगम द्वारा किसी अन्य नदकार्य के अथवा प्रयोजनों के लिए नही किया जायेगा तथा उन प्रतिबन्धों के अनुसार होगा या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी। यदि इसका उपयोग अनुमोदित प्रयोजन के अलावा किन्हीं अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो उक्त धनराशि को उसी समय तक के ब्याज सहित एकमुश्त रूप से शासन को वापस कर दिया जायेगा।

3–ऋण की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी जिसमें प्रथम दो वर्षो की अवधि को ऋण अदायगी से मुक्त रखा जायेगा तथा इस अवधि में ब्याज देय नहीं होगा एवं उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। ऋण की अदायगी तीसरे वर्ष से रू0 2.50 करोड (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) प्रति वर्ष तथा ब्याज की धनराशि प्रतिवर्ष देय होगी जिसकी अदायगी त्रैमासिक आधार पर की जायेगी। दसवें वर्ष में मूलधन की वापसी रूपये 2.00 (रूपये दो करोड मात्र) अदा किया जायेगाएवं शेष ब्याज भी एक मुश्त जमा किया जायेगा।

4– उक्त ऋण से संबंधित लेखा–जोखा परिवहन आयुक्त, कार्यालय द्वारा भी रखा जायेगा तथा ब्याज सहित ऋण के प्रतिदान की समीक्षा भी उनके द्वारा सम्पादित की जायेगी।

5– उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ऋण की स्वीकृति के एक मास के भीतर राज्य सरकार के साथ उक्त शर्तो के आधार पर एक अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

6– ऋणी/निगम प्रत्येक ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेगें।

7– ऋणी/निगम जब भी किस्तों का भुगतान करें या ब्याज जमा करें वह महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप में अवश्य भेजें :–

अ–कोषागार का नाम

ब–चालान संख्या तथा दिनांक

स–जमा धनराशि किस्त/ब्याज

द–लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया, किस्त/ब्याज

य–शासनादेश संख्या का संदर्भ

र–पिछले जमा का संदर्भ, ऋणी सस्था द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष के अन्त पर अपने लेखे का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के अभिलेखों से अवश्य कराया जायेगा।

8– ऋणी संस्था द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष के अन्त पर अपने पर लेखे का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के अभिलेखे से अवश्यक कराया जायेगा।

9– इस शासनादेश में वित्तीय विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभाग/निगम में तैनात वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

10– परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा इस धनराशि का आहरण करने से पूर्व उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक, द्वारा शासन की ऋण की स्वीकृति के लिए जो शर्ते निर्धारित की गयी है, के अनुसार अनुबंध आदि की कार्यवाही एक माह के अन्दर कर ली जायेगा। परिवहन निगम को स्वीकृति की जा रही धनराशि के कोषागार से आहरण की तिथि से ऋण/ब्याज आदि की गणना की जायेगी।

2– इस संबधं में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 के अनुदान के अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकमों में निवेश सहायता–01–उत्तराखण्ड परिवहन निगम में अंशपूंजी निवेश/ऋण–00–30/निवेश ऋण के नामे डाला जायेगा

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अ0शा0पत्र संख्या–210/वित्त अनु–2/2008, दिनांक 3 मार्च 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0रामास्वामी)
सचिव

संख्या– 29 / ix / 2007 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा रोड, देहरादून ।
2– प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– अपर सचिव श्री पंत, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
5– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय देहरादून ।
6– निजी सचिव, अपर सचिव, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन
7– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून ।
8– वित्त अनुभाग–2
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
उप सचिव